न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 10/2023

1. देवी लाल पुत्र श्री भीया राम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नं० 15, गांव धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. काशी राम पुत्र श्री सुल्तान जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
2. ग्राम पंचायत, धौलीपाल पंचायत समिति, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज०) जरिये सरपंच।

——अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध कथित संकल्प सं० 1 बिना दिनांकित ग्राम पंचायत, धौलीपाल, जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कथित रूप से सी–77 व बी–44 का पट्टा नं० 842 जारी किया गया। बमुराद मंसूखी उक्त कथित संकल्प व पट्टा तथा स्वीकार किये जाने निगरानी।

उपस्थितः— 1. श्री मोहन मुंजाल अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री देवदत भीडासरा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01।
3. श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02।

—:निर्णयः—

दिनांकः—04.08.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम धौलीपाल का पुराना वाशिंदा है। कालान्तर में वर्ष 1973 से 1977 के कार्यकाल में ग्राम पंचायत धौलीपाल का सरपंच श्री फूसा राम था व उनके कार्यकाल में सन् 1972–73, 1973–74 व 1975–76 में कुल भूखण्ड व दुकानें 736 नीलामी द्वारा विक्रय किये गये थे। कालान्तर में श्री फूसा राम के कार्यकाल में उक्त विक्रीत भूखण्डों व दुकानों की शिकायत होने पर तत्समय जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के आदेशानुसार अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा जांच की गई। तत्समय जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा उक्त वर्णित जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात बाद सुनवाई आदेश क्रमांक 659 दिनांक 05.12.1978 के जरिये कुल 176 भूखण्डों / दुकानों के पट्टे निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत धौलीपाल द्वारा ग्राम धौलीपाल में एक भूखण्ड सं० सी–77 श्री बन्सीधर पुत्र श्री सैदा राम निवासी गोलूवाला को आबंटित / विक्रय कर पट्टा जारी किया गया था, जो पट्टा भी माननीय जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के उक्तवर्णित आदेश दिनांक 05.12.1978 के जरिये निरस्त कर दिया गया, जिसका अभिवर्णन निरस्तनीय पट्टो की सूचि के क्रमांक 138 पर दर्ज है। ग्राम पंचायत धौलीपाल द्वारा दिनांक 04.09.1985 को ग्राम धौलीपाल स्थित भूखण्डों की नीलामी की गई जिसमें प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने भूखण्ड सं० सी–77 खरीद किया व जिसका पट्टा तत्समय ग्राम पंचायत धौलीपाल द्वारा दिनांक 04.10.1985 को प्रार्थी / निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी किया गया। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता के उक्तवर्णित भूखण्ड सं० सी–77 के उत्तरी ओर बलपड़ता भूखण्ड सं० वी–44 का पट्टा सं० 405 नीलामी दिनांक 16.08.1981 के अनुक्रम में मेजर सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह निवासी धौलीपाल को जारी किया गया। उक्तानुसार ग्राम पंचायत धौलीपाल के भूखण्ड सं० सी–77 पर खरीद दिनांक से प्रार्थी / निगरानीकर्ता व भूखण्ड सं० बी–44 पर क्रेता मेजर सिंह का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी का पुत्र श्री महावीर वर्तमान में ग्राम पंचायत धौलीपाल के सरपंच पद पर आसीन है। अप्रार्थी के पुत्र महावीर द्वारा प्रार्थी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

निगरानीकर्ता के भूखण्ड सं० सी–77 पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की गई तो प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने पुलिस के समक्ष गुहार की लेकिन पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने तुरन्त माननीय ग्राम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 ग्राम न्यायालय अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी के पुत्र श्री महावीर ने माननीय ग्राम न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत कर भूखण्ड सं० सी–77 व भूखण्ड सं० बी–44 का एकल पट्टा अपने पिता श्री काशी राम के नाम से जारी होने के अभिकथन किये व पट्टा की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसकी एक प्रति श्री महावीर ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता को उपलब्ध करवाई। प्रार्थी /निगरानीकर्ता ने कथित वर्णित पट्टा व पट्टा जारी करने के सम्बंध में कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु अप्रार्थी सं० 2 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया, लेकिन अप्रार्थी सं० 2 ने प्रार्थी /निगरानीकर्ता को कथित वर्णित पट्टा व पट्टा जारी करने के सम्बंध में कोई नकुलात उपलब्ध नहीं करवाई। प्रार्थी / निगरानीकर्ता कथित पट्टा, जिस पर संकल्प सं० 1 व पट्टा नं0 842 दर्ज है तथा कोई दिनांक अकित नहीं है, को निम्न आधारों पर चुनौती देकर निरस्त करने का निवेदन करता है कि अभिकथित पट्टा का कोई अभिलेख ग्राम पंचायत धौलीपाल में उपलब्ध नहीं है। कि अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र श्री महावीर ने प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में श्री काशी राम के पक्ष में सन् 1972–73 के लगभग पट्टा जारी करने के अभिकथन दर्ज किये है व फोटो प्रति पट्टा पर तत्समय सरपंच श्री फूसा राम के हस्ताक्षर होना दर्शित है। श्री फूसा राम तत्समय सरपंच द्वारा सन् 1972–73, 1973–74 व 1975–76 में नीलामी में विक्रीत 736 भूखण्डों व दुकानों में से तत्समय जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक 659 दिनांक 05.12.1978 के जरिये कुल 176 भूखण्डों /दुकानों के पट्टे निरस्त करने का आदेश पारित किया जाना निर्विवादित है व प्रश्नगत भूखण्ड सं० सी–77 निरस्त भूखण्डों की सूचि में क्रमांक 138 पर दर्ज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तत्समय सरपंच श्री फूसा राम के कार्यकाल में भूखण्ड सं० सी–77 नीलामी में बंशीधर पुत्र रौदा राम निवासी गोलूवाला को विक्रय किया गया था, जिसका पट्टा उक्तवर्णित श्री मान जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 05.12.1978 के जरिये निरस्त किया गया है। माननीय जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के उक्तवर्णित आदेश के अनुक्रम में तथा अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में पेशकर्दा पट्टा के अवलोकन मात्र से श्री काशी राम अप्रार्थी सं० 1 के पक्ष में अभिवर्णित पट्टा फर्जी व कूटरचित होना पुष्ट रूप से साबित है। अप्रार्थी सं० 2 ग्राम पंचायत धौलीपाल द्वारा अभिकथित चुनौतीधीन पट्टा जारी नहीं किया गया है व न ही अप्रार्थी सं० 2 के अभिलेख में चुनौतीधीन पट्टा से सम्बंधित कोई अभिलेख मौजूद है, ताहम भी अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रश्नगत पट्टा को जारी करने से पूर्व तत्समय लागू राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम व नियम में प्राविधित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया तथा न ही अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अभिकचित पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सकारण प्रस्ताव पारित किया। अप्रार्थी सं० 1 का पुत्र श्री महावीर वर्तमान में अप्रार्थी सं० 2 ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर पदासीन है। प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा अभिकथित पट्टा के फर्जी व कूटरचित होने के सम्बंध में श्री मान् जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसकी जांच में अप्रार्थी सं० 1 के पुत्र श्री महावीर ने अपने पद का दुरूपयोग कर एवं अपने राजनीतिक प्रभाव से ग्राम विकास अधिकारी के मार्फत एक अन्य पंट्टा की कार्यालय प्रति प्रस्तुत करवाई है, जो पट्टा मात्र सी–77 का जारी होना अभिवर्णित है। हालांकि जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत केवल सी–77 के पट्टा की कार्यालय प्रति भी फर्जी व कूटरचित है, जिसकी फौजदारी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थी / निगरानीकर्ता अग्रसर हो चुका है, ताहम भी अप्रार्थी सं० 2 ग्राम पंचायत धौलीपाल की ओर से जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत केवल सी–77 की पट्टा बही की प्रति से चुनौतीधीन पट्टा फर्जी व कूटरचित होना पुष्ट रूप से साबित है। ग्राम पंचायत धौलीपाल द्वारा गांव धौलीपाल में भूखण्ड सं० सी–77 राजस्थान पंचायत अधिनियम व राजस्थान पंचायत संशोधित नियम के तहत समस्त प्रावधित प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रार्थी / निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है एवं जिसके अनुक्रम में प्रशगनत भूखण्ड सं० सी–77 वाके गांव धौलीपाल का स्वामित्व प्रार्थी / निगरानीकर्ता में निहित है। प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जा के उक्त भूखण्ड सी–77 पर अप्रार्थी के पुत्र द्वारा नाजायज कब्जा की कोशिश करने पर प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने फौजदारी व सिविल कार्यवाही की एवं अप्रार्थी के पुत्र के विरुद्ध कार्यवाही के लम्बनकाल में

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अप्रार्थी के पुत्र ने प्रार्थी / निगरानीकर्ता के भूखण्ड पर निर्माण शुरू कर दिया। अप्रार्थी के पुत्र ने सिविल व फौजदारी कार्यवाही से बचने के लिए अपने पिता अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा होना अभिवर्णित किया व कथितवर्णित पट्टा की फोटो प्रति पेश की। कथितवर्णित चुनौतीधीन पट्टा पूर्णतः फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता के स्थगन प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी के पुत्र के विरुद्ध दिनांक 02.02.2023 को ग्राम न्यायालय हनुमानगढ द्वारा स्थगनादेश जारी किया गया, जिस पर चुनौतीधीन भूखण्ड सं० सी–77 पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। अप्रार्थी के पुत्र श्री महावीर ने माननीय ग्राम न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 02.02.2023 के विरुद्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो बाद सुनवाई प्रकरण में अप्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर प्रार्थी / निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2023 को खारिज किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज होने के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड सं० सी–77 पर पुनः निर्माण चालू कर दिया गया है। अप्रार्थी का पुत्र वर्तमान में गांव के सरपंच पद पर पदासीन है तथा अपने सरपंच पद का दुरूपयोग कर अप्रार्थी के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर रहा है। अप्रार्थी व अप्रार्थी का पुत्र मिलीभगत कर प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जा के भूखण्ड को हड़प करने की फिराक में है। अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र द्वारा प्रश्नगत पट्टा जाहिर करने के पश्चात निगरानीकर्ता व अन्य व्यक्तियों द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से सूचना के अधिकार के तहत नकुलात प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन अप्रार्थी सं० 2 ने प्रार्थी /निगरानीकर्ता या अन्य को नकुलात नहीं दी है। प्रार्थी / निगरानीकर्ता को अप्रार्थी सं० 1 द्वारा कथितवर्णित पट्टा न्यायालय में पेश करने पर अप्रार्थी सं० 1 व उसके पुत्र श्री महावीर द्वारा प्रश्नगत पट्टा के फर्जी व कूटरचित होने की जानकारी हुई। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है, इसी क्रम में यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेज को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिस हेतु भी कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इसलिये निगरानी अन्दर मियाद है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, धौलीपाल के कथित संकल्प सं० 1 बिना दिनांकित तथा इस कथित संकल्प की रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कथित रूप से सी–77 वी–44 नं0 842 बिना दिनांकित अवैध तथा भूखण्ड संख्या सी–77 का कथित पट्टा बिना नम्बरी दिनांक 15.12.1973 फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त फरमाया जावे

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, धौलीपाल के कथित संकल्प सं० 1 बिना दिनांकित तथा इस कथित संकल्प की रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कथित रूप से सी–77 वी–44 नं0 842 बिना दिनांकित अवैध तथा भूखण्ड संख्या सी–77 का कथित पट्टा बिना नम्बरी दिनांक 15.12.1973 फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त फरमाया जावे

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ने अपनी बहस में कथन किये कि न्यायालय ग्राम न्यायाधिकारी महोदय द्वारा पारित यथास्थिति का आदेश दिनांक 02.02.2023 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ द्वारा विविध अपील संख्या 6/2023 शीर्षक महावीर सिंह बनाम देवीलाल में दिनांक 01.06.2023 को अपास्त फरमाया जा चुका है। मेरे पक्ष में जारी आबादी भूमि का बैनामा में यद्यपि दिनांक अंकित नहीं है लेकिन इस पट्टा पर फुसाराम के हस्ताक्षर है तथा फुसाराम को फौत हुये काफी वर्ष हो चुके है। इस आबादी भूमि के बैयनामा की पुष्टि आबादी भूमि का पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर) से होती है। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या सी 77 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा व प्रार्थी द्वारा अभिकथित पट्टा दिनांक 04.10.1985 के संबंध में कार्यालय पंचायत समिति हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ के अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ श्री प्रवीण पुरोहित ने जांच कर अपनी रिपोर्ट क्रमांक एसपीएल /6 दिनांक 01.03.2023 को प्रस्तुत की है तथा

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धोलीपाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.03.2023 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अभिकथित पट्टा दिनांक 04.10.1985 संदिग्ध पाया गया है। प्रार्थी ने मेरे पक्ष में जारी पट्टा के संबंध में पुलिस में भी शिकायत की थी तथा जांच के प्रक्रम पर प्रार्थी ने बावजूद ताकिद के कथित मूल पट्टा प्रस्तुत नहीं किया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने जांच में असल आबादी भूमि का बैनामा प्रस्तुत किया है जो जांच में पट्टा रजिस्टर में दर्ज होना पाया गया है तथा भूखण्ड संख्या सी 77 प्रार्थी के कब्जा व स्वामित्व का होना पाया गया है। प्रार्थी ने 50 वर्ष बाद मिथ्या आधारों पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर है। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. RBJ (9) 2002 PAGE 193
2. DNJ (2) 2012 PAGE 602
3. DNJ (4) 2015 PAGE 1853

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि के प्रार्थी के पक्ष में भूखण्ड संख्या सी–77 का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत धोलीपाल द्वारा जारी किया गया हो। प्रार्थी द्वारा अभिकथित पट्टा दिनांक 04.10.1985 ग्राम पंचायत के अभिलेख अनुसार जारी नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अभिकथित पट्टा फर्जकारी कर कूटरचित तैयार किया है तथा इसी कारण प्रार्थी ने न्यायिक कार्यवाही एवं पुलिस जांच में बावजूद ताकिद के मूल पट्टा प्रस्तुत नहीं किया है व ना ही इस निगरानी प्रार्थना पत्र में उक्त मूल पट्टा प्रस्तुत किया है ताकि उसके द्वारा की गई फर्जकारी रोशन नहीं हो सके। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या सी–77 का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधिसम्मत रूप से जारी है तथा पंचायत अभिलेख में आबादी भूमि का पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर) में इस भूखण्ड संख्या सी 77 का पट्टा दिनांक 14.12.1973 को जारी होना दर्ज है। न्यायालय ग्राम न्यायाधिकारी महोदय द्वारा पारित यथास्थिति का आदेश दिनांक 02.02.2023 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ द्वारा विविध अपील संख्या 6/2023 शीर्षक महावीर सिंह बनाम देवीलाल में दिनांक 01.06.2023 को अपास्त फरमाया जा चुका है तथा उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8360/2023 में उभय पक्षों को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.06.2023 को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करने से इन्कार किया है तथा यह सम्प्रेषण पारित किया है कि In view of the submissions made, no case is made out for passing of any interim order" प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को छिपाया है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच का अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र होना मात्र स्वीकार है लेकिन यह कथन कतई झूठ व कलांकात्मक है कि अप्रार्थी संख्या 2 के सरपंच द्वारा पद का दुरूपयोग कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हो। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का बैनामा में यद्यपि दिनांक अंकित नहीं है लेकिन इस पट्टा पर फुसाराम के हस्ताक्षर है तथा फुसाराम को फौत हुये काफी वर्ष हो चुके है। इस आबादी भूमि के बैयनामा की पुष्टि आबादी भूमि का पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर) से होती है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्र पर मिलीभगत करने का मिथ्या आक्षेप लगाया है। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या सी 77 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा व प्रार्थी द्वारा अभिकथित पट्टा दिनांक 04.10.1985 के संबंध में कार्यालय पंचायत समिति हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ के अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ श्री प्रवीण पुरोहित ने जांच कर अपनी रिपोर्ट क्रमांक एसपीएल /6 दिनांक 01.03.2023 को प्रस्तुत की है तथा इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धोलीपाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.03.2023 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अभिकथित पट्टा दिनांक 04.10.1985 संदिग्ध पाया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा के संबंध में पुलिस में भी शिकायत की थी तथा जांच के प्रक्रम पर प्रार्थी ने बावजूद ताकिद के कथित मूल पट्टा प्रस्तुत नहीं किया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने जांच में असल आबादी भूमि का बैनामा प्रस्तुत किया है जो जांच में पट्टा रजिस्टर में दर्ज होना पाया गया है तथा भूखण्ड संख्या सी 77 प्रार्थी के कब्जा व स्वामित्व का होना पाया गया है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रार्थी ने 50 वर्ष बाद मिथ्या आधारों पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सर्वथा मियाद बाहर है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. अभिभाषक निगरानीकर्ता ने कथन किया की "राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है" परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायीक नजीर DNJ 2012(2) Page 602 अनुसार Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994-Sec. 97-Revision to quash the allotment order dt. 22.10.1983 and 22.9.1995-Inordinate delay of 20 years in filing revision-Revisional power should be exercised within a reasonable period Revision filed on 21.6.2005-Held, Addl. Collector Sought to have dismissed the revision on the sole ground of delay.

   Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994-Sec. 97-Exercise of power u/s. 97-No limitation prescribed-Limitation for appeals u/ss. 61, 97A and 71 is provided Reasonableness of the period cannot be construed to extend several years Order of regularization and allotment challenged in appeal and it was dismissed on 27.6.2005 and order dt. 27.6.2005 become final-Petitioner's father and family members were in occupation of the land in question for several years and raised construction thereon-All requisite payments made-Held, Remanding of matter was unwarranted and revision ought to have been dismissed and order passed by Addl. Collector is set aside.

   एवं न्यायीक नजीर RBJ(9) 2002 Page 193 अनुसार LIMITATION ACT, 1963 ARTICLE 137 ; Applicability Article 137 applies to those applications for which no period of limitation has been provided elsewhere - Prescribed period is three years

   इस प्रकार अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत न्यायीक नजीरें बखुबी चस्पा होती है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र 50 वर्ष की देरी में प्रस्तुत किया गया है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने के कारण एवं निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत धौलीपाल पंचायत समिति हनुमानगढ द्वारा जारी भूमि विकय विलेख (पटटा) दिनांक 15.12.1973 जो काशीराम पुत्र सुल्तानराम को जारी है, को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ